

दस आज्ञाएं

- I. तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके न मानना ।
- II. तू अपने लिए कोई मूर्ति खोदकर न बनाना ...
- III. तू अपने परमेश्वर का नाम व्यर्थ न लेना ...
- IV. तू विश्रामदिन को पवित्र मानने के लिए स्मरण रखना ...
- V. तू अपने पिता और अपनी माता का आदर करना ...
- VI. तू खून न करना
- VII. तू व्यभिचार न करना ।
- VIII. तू चोरी न करना ।
- IX. तू किसी के विरुद्ध झूठी साक्षी न देना ।
- X. तू किसी के घर का लालच न करना ...

(निर्गमन 20:1-17)

परमेश्वर द्वारा इस्राएल जाति को दी गई व्यवस्था (व्यवस्थाविवरण 4:7, 8) “वाचा” अर्थात दस आज्ञाओं के सार सहित उन “आज्ञाओं,” “विधियों,” “गवाहियों,” “निर्देशों,” “कानूनों,” और “दण्डादेशों,” से बनी थी। “व्यवस्था” शब्द का इस्तेमाल दस आज्ञाओं सहित परमेश्वर की किसी भी आज्ञा के लिए किया जाता था। भजन 119 में इसका एक अच्छा संकेत मिलता है। बेशक दाऊद ने इस भजन में वाचा या दस आज्ञाओं का उल्लेख नहीं किया, परन्तु उसने उन्हें “व्यवस्था” (आयत 1), “चित्तौनियों” (आयत 2), “उपदेश” (आयत 4), “विधियों” (आयत 5), “आज्ञाओं” (आयत 6), “धर्ममय नियमों” (आयत 7), और “विधियों” (आयत 16) के रूप में अवश्य शामिल किया।

इस्राएल को दी गई परमेश्वर की व्यवस्था में दस आज्ञाएं शामिल थीं। इस बात के वर्णन से पहले कि वे कैसे दी गई थीं (व्यवस्थाविवरण 5:6-21), यह कथन मिलता है: “फिर जो व्यवस्था मूसा ने इस्राएलियों को दी वह यह है; ये ही वे चित्तौनियां और नियम हैं जिन्हें मूसा ने इस्राएलियों को उस समय कह सुनाया जब वे मिसर से निकले थे” (व्यवस्थाविवरण 4:44, 45)।

व्यवस्था दिए जाने की भूमिका के रूप में, व्यवस्थाविवरण 5:1ख, 2 में मूसा के कथन से संकेत दिया गया कि दस आज्ञाओं को “विधि” और “नियम” माना जाना चाहिए: “हे इस्राएलियो, जो भी विधि और नियम मैं आज तुम्हें सुनाता हूँ वे सुनो, इसलिए कि उसे सीखकर मानने में चौकसी करो। हमारे परमेश्वर यहोवा ने तो होरेब पर हम से वाचा बांधी।”

व्यवस्था अपने आप में ही आज्ञाओं से बनी थी जो इस्राएलियों को उनके काम काज पर नियन्त्रण रखने और उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए दी गई थी। व्यवस्था की प्रकृति दूसरी आज्ञा में मिलती है, जिसमें परमेश्वर ने “जो मुझ से प्रेम रखते और मेरी आज्ञाओं को मानते हैं उन हज़ारों पर करुणा” दिखाने की प्रतिज्ञा की (व्यवस्थाविवरण 5:10)।

दस आज्ञाओं में वह मूल दस्तावेज था जिसमें परमेश्वर ने अपने आपको इस्राएल के साथ बांधा था। “न करना” वाक्यांश का इस्तेमाल करते हुए, दस में से आठ आज्ञाएं नकारात्मक थीं। केवल चौथे और पांचवें वाक्य ही सकारात्मक थे: “तू विश्राम दिन को मानकर पवित्र रखना” और “अपने पिता और अपनी माता का आदर करना।” दस की दस आज्ञाओं को बिना उनके दायरे की परिभाषा दिए या विस्तार से बताए कि वे कैसे लागू होंगी, केवल संक्षिप्त और सरल वाक्य ही थे।

इसलिए वाचा के लागू होने से सम्बन्धित प्रश्न उठने निश्चित ही थे: “हर आज्ञा में क्या है?”; “ये आज्ञाएं भंग कैसे होती हैं?”; “हम कैसे बता सकते हैं कि किसी आज्ञा का उल्लंघन हुआ है?”; “किसी आज्ञा को तोड़ने वाले व्यक्ति को दण्ड कैसे दिया जाना चाहिए?” ऐसे प्रश्न पूछे जाने थे। विधियां, आज्ञाएं, उपदेश, चितौनियां और धर्ममय नियम इसीलिए थे (देखिए व्यवस्थाविवरण 4:14)। इन विधियों और धर्ममय नियमों के बिना, वाचा विधियों का केवल एक कमजोर सा क्रम होना था, जिनमें उन्हें लागू करने की पर्याप्त जानकारी न हो। इन विस्तृत कथनों में से किसी एक का भी उल्लंघन वाचा का ही माना जाता था, क्योंकि अतिरिक्त निर्देश इस्राएलियों को दस आज्ञाओं को समझने के लिए ही दिए गए थे।

अधिकतर आज्ञाओं के उल्लंघन का दण्ड मृत्यु था। चोरी करना, झूठ बोलना और लोभ करना अपवाद ही थे। किसी मनुष्य की चोरी (अपहरण) करने के मामले में तो मृत्यु दण्ड भी हो सकता था (निर्गमन 21:16; व्यवस्थाविवरण 24:7)। इसी प्रकार, लोभ करने से अन्य आज्ञाओं का उल्लंघन होने पर, इसका दण्ड भी मृत्यु हो सकता था।